भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1398**

दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता

1398. डॉ. मल्लू रवि:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के अनुसमर्थन और संसद में प्रस्तुतीकरण की विशिष्ट समय-सीमा क्या है;

(ख) समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए संशोधन की आवश्यकता वाले विशिष्ट घरेलू कानून या विनियम (जैसे, प्रशुल्कों, संपुष्टि मूल्यांकन, या बौद्धिक संपदा) क्या हैं;

(ग) सामाजिक सुरक्षा भुगतान मुद्दे का समाधान करने के लिए पृथक 'डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेन्शन' (डीसीसी) की आधिकारिक स्थिति क्या है; और

(घ) क्या इसका कार्यान्वयन मुख्य एफटीए के साथ समवर्ती होगा, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) **और (ख):** भारत और यूनाइटेड किंगडम ने दिनांक 24 जुलाई 2025 को व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए मंत्रीमंडल का अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो चुका है। इस समझौते के तहत टैरिफ संबंधी रियायतों और उत्पत्ति संबंधी नियमों से संबंधित प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 जैसे मौजूदा कानूनों के तहत अधिसूचनाओं के माध्यम से लागू होते हैं। संपुष्टि मूल्यांकन और बौद्धिक संपदा से संबंधित प्रावधानों के लिए मौजूदा कानूनों और विनियमों में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(**ग**) **और (घ):** दोनों पक्ष डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेन्शन (डीसीसी) को अंतिम रूप देने के लिए रचनात्मक रूप से कार्यरत हैं। भारत-यूके सीईटीए के एक भाग के रूप में भारत और यूके के बीच डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेन्शन पर वार्ता करने के लिए हस्ताक्षरित साईड लेटर अनुसार, डीसीसी भारत-यूके सीईटीए के साथ ही लागू होगा।

*****